न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

- - - - - निगरानी - 3032/2018/टीकमगढ़ /भू.रा.

पुनरीक्षण क्र. 2

1.कल्लू तनय पजना ढीमर

2.भुमानी तनय चिमन यादव निवासी ग्राम तखा

तह.वजिला टीकमगढ़ म.प्र.

..पुनरीक्षणकर्ता

श्री .... द्वारा आज 16/5/18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 6/6/18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

बनाम

अरुण यादव पुत्र इमरतयादव निवासी ग्राम अनंतपुरा

तह.वजिला टीकमगढ़म.प्र.

..अनावेदक

पुनरीक्षण प्रस्तुत अपर कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ का प्र0क्र032/बी121/17-18 मे पारित आदेश दिनांक 23/4/18 के विरुद्ध

- - - - -

16/5/18

महोदय,

आवेदक कीविनय सादर प्रस्तुत है:

1. यह कि प्रश्नाधीन भूमिपर आवेदक का लंबे समय से कब्जा चला आ रहा है परंतु राजस्वकर्मचारियो द्वारा उसे पटटा प्रदाय नही किया गया क्योकि अनावेदक के परिवार मे लगभग 20वर्ष से सरपंच ग्राम पंचायत का पद है और आवेदक का राजनैतिक द्वेष के कारण इसकी शिकायत अनावेदक ने कीथी जिस पर ध्यान अधीनस्थ न्यायालय ने नहीदिया।

2. यह कि अनावेदक एवं तहसीलदार टीकमगढ़ के यहां आना जाना है इस कारण आवेदक को न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीहै इस कारण वह तहसीलदार का प्र0क्र011/बी121/17-18 स्थानांतरित कराना चाहता है जो न्यायहित मे है और उसके लिए आवेदनदिया गयाहै कलेक्टर महोदय से धारा 30केअंतर्गत प्रकरण को स्थानातंतरण करने की शक्तियां प्राप्त है उन्हे न्यायहित मे धारा 32 के अंतर्गत प्रकरण कोस्थानांतरित कर देना था ।

... अधीनस्थ न्यायालय ने यहलेख गलत किया कि

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3032/2018/टीकमगढ़/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-06-2018	आवेदक की ओर से श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक उपस्थित । उनके द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 23-04-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर कलेक्टर द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदक अतिक्रमण की कार्यवाही से बचने के लिए उच्च न्यायालय में प्रकरण स्थानांतरित करवाना चाहता है तथा धारा 32 में कार्यवाही चाहता है जो संभव नहीं है । अपर कलेक्टर द्वारा निकाले गये उपरोक्त निष्कर्ष विधिसंगत है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्ट्या आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । सदस्य	